तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/8/24

आदेश

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9–4 सपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

अनवान राजाराम बनाम हरदेवा राम आदि

अन्तर्गत धारा 251 आरटीए

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 9–4 सपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है:–यह कि उपरोक्त शीर्षक के प्रकरण में मामला वास्ते तलबी, कायम मुकाम व जबाव पर चल रहा है।

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के आवगमन हेतू स्व. पारी देवी के नाम से वर्णित कृषि भूमि मे से रास्ता की मांगी थी। चूंकि वर्तमान राजस्व अभिलेख मे कृषि भूमि स्व. पारी देवी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थी ने स्व. पारी देवी के वारिसान को पक्षकार बनाया गया और उनकी तामिल हेतू जरिये रजि. ए.डी. नोटिस प्रेषित किया। बाद तामिल दिनांक 30.11.2022 को प्रार्थी को पता चला कि अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 फीत है जिनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का साक्षर व्यक्ति है तथा स्व. पारी देवी के वारिसान अलग अलग जगह रिहायस करते है और स्व. पारी देवी की पुत्रीयां विवाहित है जिनके वारिसों का प्रार्थी को पता नहीं था। अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 के वारिसान अन्यत्र स्थान पर रहने के कारण प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 के विधिक वारिसान की जानकारी प्राप्त करने में काफी समय लग गया और इस कारण प्रार्थी विधिक समय अवधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाया एवम् अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा भी जो परस्पर एक ही परिवार के सदस्य होने के पश्चात भी उनके विधिक वारिसान के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नही की गई जबकि विधि अनुसार अप्रार्थीगण या उनके अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 की मृत्यु की सूचना प्रदान करना विधिक कर्तव्य था । अब प्रार्थी द्वारा अपने अथक प्रयासो के पश्चात सर्वप्रथम दिनांक 01.09.2023 को मृतक पक्षकारों के वारिसों की जानकारी प्राप्त ... प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 की हद तक ... हो ... है। अबेटमन्ट को निरस्त करवाने एवं अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतू यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 15:15:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 को मृतक ...त करते हुए अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जावे:–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी सं. 1 हरदेवाराम के निम्न वारिसान–1. ईमीचन्द पुत्र हरेदवाराम जाति नायक साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।2. महावीर पुत्र हरदेवाराम जाति नायक साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। अप्रार्थी सं. 4 मीरां के निम्न वारिसानः–1. ओमप्रकाश माता मीरां जाति नायक साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. महेन्द्र माता मीरां जाति नायक साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर । 3. भागीरथ माता मीरां जाति नायक साकिन भागीबन्दर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। अप्रार्थी सं. 7 कलावती के निम्न वारिसानः–1. सुरेन्द्र माता कलावती जाति नायक साकिन 20 एम.एल. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। 2. लालचन्द माता कलावती जाति नायक साकिन 20 एम.एल. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । 3. हंसराज माता कलावती जाति नायक साकिन 20 एम.एल. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। 4. सरोज माता कलावती माता कलावती जाति नायक साकिन मांझुबास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 की हद तक प्रार्थना पत्र अपास्तगी निरस्त की जावे एवं उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जगराज सिह भारी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से हैः– प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन कि स्व. पारी देवी के नाम वर्णित कृषि भूमि में से रास्ता की मांग की गई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि मृतक पारी देवी के नाम दर्ज है में पारी देवी के वारीसान को पक्षकार बनाया गया है व उनकी तामिल हेतू रजि. एडी नोटिस प्रेषित किया तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा यह कथन कि बाद तामिल दिनांक 30.11.2022 को पता चला कि अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 फौत है व उनके वारीसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी मृतक पारी देवी की कृषि भूमि का पड़ौसी काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा यह कथन करना कि मुझे मृतक पारी देवी के वारीसान का पता नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्तियों के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र शुरू से ही काबिल खारिज के है। अप्रार्थीगण के फौत होने की सूचना प्रार्थी को दिनांक 30.11.2022 को प्राप्त हो चुकी थी सूचना प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा कानूनन निश्चित अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मृतक अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 के वारीसान को प्रार्थना पत्र में कायम मुकाम करने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 की फौत की सूचना होने के पश्चात लगभग 10 माह बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में हुई देरी के कारण व निश्चित अवधि पार होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मृतक अप्रार्थी सं. 1, 4, 7 की हद तक अबैट हो चुका है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 हरदेवाराम, 4 मीरा, 7 कलावती का ना तो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है व ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 15:15:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कोई वारीसान की कोई तस्दीक हेतू ऐसा कोई दस्तावेज या वारीसानामा प्रस्तुत नही किया है जिससे वारीसान की जानकारी हो। अप्रार्थी सं. 1 हरदेवाराम के एक पुत्री है वह भी फौत हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 4 मींरा के वारीसान लड़को को प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है जबकि अप्रार्थी सं. 4 मींरा के लड़कियां भी है जिनका प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कायम मुकाम हेतू वर्णित नही किया गया है। अप्रार्थी सं. 7 के वारीसान बाबत ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे वारीसान की संख्या व पुत्र पुत्रीयों का हवाला हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली अवलोकन किया गया एवं अभिलेख का निरिक्षर किया गया जिसमें चक 8 बीएलडब्ल्यू खाता संख्या 2 प.न. 55/240 व प.न. 55/241 कुल 3.884 हैक्ट. में अप्रार्थीगण 1, 4, 7 की माता पारी देवी रिकार्डिड खातेदार है जबकी पारीदेवी की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1, 4, 7 की भी मृत्यु हो चुकि है मूल प्रार्थना पत्र के साथ भी पारी देवी के विधिक वारिसान का वारीसनामा प्रस्तुत नहीं है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी मय 151 सीपीसी बिना किसी साक्ष्य व शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है जिसे खारिज किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र में चुंकि अप्रार्थीगण 1 ता 8 रिकार्डिड खातेदार नहीं है। पारीदेवी के वारीसान 1 ता 8 पक्षकार है एवं उनमें से भी 1, 4, 7 की मृत्यु हो चुंकि है इस लिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रकबा चक 8 बीएलडब्ल्यू खाता संख्या 2 प.न. 55/240 व प.न. 55/241 कुल 3.884 हैक्ट. पारीदेवी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की माता पारीदेवी के विधिक वारीसान के नाम अभिलेख अमलदरामद होने के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र 251 क आरडीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.02 15:15:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा